बस्तर की देवगुड़ियाँ और मातागुड़ियाँ हुई लपिबिद्ध

चर्चा में क्यों?

5 अक्टूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क वभिाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य शासन की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ के आदविासी बहुल बस्तर अंचल के आदविासयिों के वरिासत में आस्था का केंद्र देवगुड़ियों-मातागुड़ियों को संरक्षति एवं संवर्धति करने की दशिा में बस्तर क्षेत्र आदविासी वकिास प्राधकिरण के द्वारा इन देवगुड़ियों-मातागुड़ियों को लपिबिद्ध कयिा गया है।

प्रमुख बदि

- वदिति है कि छत्तीसगढ़ के आदविासी बहुल बस्तर अंचल में सदयिों से अनेक जनजातीय समुदाय नविासरत हैं। इन जनजातीय समुदायों की अपनी अलग सांस्कृतकि वरिासत है। आदविासयिों के वरिासत में आस्था का केंद्र देवगुड़ी-मातागुड़ी है, जसिकी जनजातीय समुदायों में अपनी महत्ता है।
- बस्तर क्षेत्र आदविासी वकिास प्राधकिरण के द्वारा वभिन्नि मदों के अभसिरण से इन देवगुड़ियों-मातागुड़ियों का जीर्णोद्धार करने सहति उन्हें सँवारने के लयि व्यापक पहल की गई है।
- जनजातीय समुदाय के अधकिांश समूह प्रकृतपिूजक हैं, वे पेड़-पौधों में अपने देवी-देवताओं का वास मानते हैं और इसी आस्था के फलस्वरूप वनों को बचाने के लयि अहम भूमकिा नभिा रहे हैं। यही वजह है कि इन देवस्थलों पर बहुतायत मात्रा में पेड़-पौधे पाए जाते हैं।
- इन देवस्थलों के परसिरों में वृहद स्तर पर फलदार एवं छायादार पौधरोपण कयिा जा रहा है। इसके साथ ही उत्त देवस्थलों का सामुदायकि वनाधकिार मान्यता पत्र प्रदान कर देवगुड़ियों एवं मातागुड़ियों सहति गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों के भूमि को संरक्षति करने के उद्देश्य से संबंधति देवी-देवताओं के नाम से भूमि को राजस्व अभलिेख में दर्ज कयिा गया है।
- वहीं इन देवगुड़ियों-मातागुड़ियों और गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों को उनके नाम से सामुदायकि वनाधकिार मान्यता पत्र जारी कयिा गया है, ताकि इन सांस्कृतकि-सामाजकि धरोहरों के परसिरों को अवैध कब्जा से बचाया जा सके। साथ ही इन धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन की दशिा में स्थानीय जनजातीय समुदाय की सहभागति सुनशि्चति कयिा जा सके।
- देश में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य एवं बस्तर संभाग देश का ऐसा संभाग है, जो आदविासी समुदायों की आस्था एवं जीवति परंपराओं के केंद्र मातागुडी, देवगुडी, गोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक, सेवा-अरजी स्थल आदि के संरक्षण, संवर्धन तथा परिरक्षण के लयि प्रतबिद्ध है।
- अनुसूचति जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन नविासी (वन अधकिारों की मान्यता) अधनियिम के तहत देवी-देवताओं के नाम से ग्राम सभा को 2453 सामुदायकि वनाधकिार पत्र प्रदान कयि गए हैं। इनमें कुल 7075 मातागुडी, देवगुडी, गोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक के लयि 2607.20 हेक्टेयर (6466 एकड़) भूमि राजस्व अभलिेखों में प्रवष्टि कर संरक्षति कयिा गया है।
- बस्तर संभाग में कुल 22884 बैगा, सरिहा, मांझी, गुनयिा, गायता, पुजारी, बजनयिा, अटपहरयिा आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना अंतर्गत पंजीकृत करके प्रत्येक को प्रतिवर्ष 7000 रुपए प्रदान कयिा जा रहा है।
- बस्तर में क्षेत्रवार आदविासी समुदायों के देवी-देवताओं की वाचकि परंपरा में प्रचलति मान्यताओं को लेखबद्ध कर उन्हें जारी कयि गए सामुदायकि वन अधकिार के प्रपत्रों को संकलति कर 'पुरखती कागजात'नामक (भाग एक) पुस्तकि तैयार की गई है। 'पुरखती कागजात'(भाग-दो) में संरक्षति खसरों का संकलन है, जसिमें भुईया के माध्यम से खसरे के कैफयित कॉलम में मातागुडी, देवगुडी के नाम व रकबा उल्लेखति कर राजस्व अभलिेख संरक्षति कयिा गया है।
- बस्तर अंचल की आस्था और सांस्कृतकि धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन की दशिा में 6283 देवगुड़ी और मातागुड़ी में से 3244 का जीर्णोद्धार की स्वीकृति दी गई है और अब तक 2320 देवगुड़ी एवं मातागुड़ियों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कयिा जा चुका है। वहीं स्वीकृत 297 गोटुल नर्माण कार्यों में से 200 कार्यो को पूर्ण कयिा गया है।
- बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 7075 देवगुड़ियों एवं मातागुड़ियों सहति गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों में से 3619 देवगुड़ी-मातागुड़ी और गोटुल एवं मृतक स्मारक राजस्व, गैर वनभूमि, नजिी भूमि तथा अन्य मदों की भूमि पर अवस्थति हैं, जसिसे 898 हेक्टेयर रकबा भूमि संरक्षति है।
- वहीं शेष सभी 3456 देवगुड़ियों-मातागुड़ियों और घोटुल एवं प्राच्य मृतक स्मारकों का सामुदायकि वनाधकिार मान्यता पत्र समुदाय को प्रदान कर करीब 1709 हेक्टेयर रकबा भूमि संरक्षति कयिा गया है। लगभग 6466 एकड़ राजस्व भूमि को देव-मातागुड़ी के रूप में संरक्षति कयिा गया है।
- **बस्तर क्षेत्र आदविासी वकिास प्राधकिरण-**
  - बस्तर क्षेत्र आदविासी वकिास प्राधकिरण का गठन राज्य शासन द्वारा 27 फरवरी, 2019 को कयिा गया था। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सदस्य स्थानीय जनप्रतनिधियिों को बनाया गया है।
  - प्राधकिरण का मुख्य उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में आदविासयिों की संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन एवं संरक्षण करना है, इस प्राधकिरण के अंतर्गत क्षेत्र तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के वकिास के लयि अन्य कार्य स्वीकृत कयि जा रहे हैं।
  - प्राधकिरण अंतर्गत संभाग के बस्तर, कोंडागाँव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा ज़लि समाहति हैं।

//

The Vision

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/devgudis-and-matagudis-of-bastar-were-written-down